मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल – 462004

अति–महत्वपूर्ण

Website : www.mpmandiboard.co.in E-mail : mdmandiboard@gmail.com Tel: 0755-2553429

क्रमांक / बी–5 / 2 / ई–अनुज्ञा (ऑ.ला.) / 2019–20 / 1182 भोपाल दिनांक 31 जुलाई 2019

प्रति,

(01) संयुक्त संचालक / उप संचालक,
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय,
भोपाल / इंदौर / उज्जैन / ग्वालियर / सागर / जबलपुर / रीवा (म0प्र0)

(02) भारसाधक अधिकारी / सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति,
समस्त जिला समस्त (म0प्र0)

विषयः–प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में परिवर्तित ई–(मण्डी) अनुज्ञा ऑनलाईन पोर्टल को खोलने (Open) संबंधी।

संदर्भः–कार्यालयीन अर्द्ध.शा. पत्र क्रमांक बी–5 / 2 / ई–मण्डी / 2018–19 / 1150–1156 दिनांक 24 जून 2019।

–0–

संदर्भित अर्द्ध.शा. पत्र का अवलोकन करेंगे जिसके द्वारा प्रदेश की सभी मण्डी समितियों में परिवर्तित ई–(मण्डी) अनुज्ञा ऑनलाईन प्रणाली को लागू करने के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं। परिवर्तित ई–अनुज्ञा पोर्टल दिनांक 01 अगस्त 2019 से खोला (Open) जा रहा है। प्रदेश की सभी मण्डी समितियों में परिवर्तित ई–(मण्डी) अनुज्ञा के लिये सभी आवश्यक तैयारियॉ पूर्ण कराते हुये निम्नानुसार कार्यवाहियों का पालन सुनिश्चित किया जाये :–

1/ पाक्षिकी जानकारी दिनांक 16 जुलाई से 31 जुलाई 2019 तक की अवधि की यथाशीघ्र पोर्टल पर दर्ज कराना।

2/ प्रदेश की मण्डी समितियों के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों को ई–(मण्डी) अनुज्ञा पत्र ऑनलाईन प्रणाली पर प्रारम्भिक तौर पर भुगतान पत्रक की एण्ट्री एवं प्रिंट की सुविधा प्रदान की गई है। इस व्यवस्था अंतर्गत इच्छुक व्यापारियों द्वारा स्वयं का पंजीयन कराने पर एस.एम.एस. के माध्यम से उन्हें लॉगिन आई.डी. एवं पासवर्ड प्रदाय किये हैं।

मण्डी सचिव अपनी मण्डी के इच्छुक अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों से चर्चा कर उन्हें पंजीयन कराने में मदद करें।

3/ मण्डियों में उपलब्ध हार्डवेयर का आंकलन कर हार्डवेयर की व्यवस्था कर रखने के निर्देश पूर्व में ही दिये गये हैं। कृपया सुनिश्चित करें कि सभी मण्डी समितियों में और प्रदेश में जहॉ अंतर्राज्यीय नाके स्थापित हैं वहॉ पर आवश्यकतानुसार हार्डवेयर की पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जावे।

4/ जिन मण्डियों में उपलब्ध कम्प्यूटर सामग्री के अतिरिक्त परिवर्तित ई–(मण्डी) अनुज्ञा पत्र ऑनलाईन प्रणाली कियान्वयन के लिये आवश्यकता होने पर निर्धारित स्पेसीफिकेशन अनुसार कम्प्यूटर/लेपटाप, एण्ड्राईड टेबलेट, लेसर प्रिंटर, मल्टी परपस प्रिंटर, यूपीएस कय व इस्टॉलेशन की कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण की जाये।

5/ मण्डी के सभी व्यापारियों की मूलभूत जानकारी, मोबाईल नंबर इत्यादि अद्यतन कराया जाना सुनिश्चित करें।

6/ समस्त मण्डी समितियों के सचिव को पंजीयन किया जाकर यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड की जानकारी भेजी जा चूकी है। अतः वे पासवर्ड (Change Password) में बदलाव की कार्यवाही अनिवार्य रुप से पूर्ण कर सुरक्षित एवं गोपनीय रखें।

7/ पोर्टल पर पूर्व में मण्डी सचिव द्वारा दायित्वपूर्ण किये गये मण्डी अमले की सूची का सीधे पोर्टल पर मिलान कर लेवें। जो मण्डी कर्मी अन्यंत्र स्थानांतरित हो गये हैं अथवा सेवा में नहीं है, उनके नामों को पोर्टल पर निष्कीय (Deactivate) कर लेवें एवं उनकी जगह वर्तमान पदस्थ मण्डी कर्मियों का समावेश कर सूची अद्यतन करेगें तथा उनके कार्यों का निर्धारण कर दायित्व पूर्ण करेंगे।

8/ सभी मण्डी कर्मचारियों के लिये परिवर्तित ई–(मण्डी) अनुज्ञा पत्र ऑनलाईन प्रणाली में कार्य का प्रशिक्षण एवं व्यवहारिक (Hand's on) प्रशिक्षण भी पूर्व में दिया गया है ताकि वह परिवर्तित ई–(मण्डी) अनुज्ञा पत्र ऑनलाईन प्रणाली का सुगमता से उपयोग कर सके।

9/ ई–अनुज्ञा प्रणाली के लिये व्यापारी को लॉगिन आई.डी. एवं पासवर्ड प्रदाय किये गये हैं, वे स्वयं प्रारुप 10 एवं पोर्टल पर आवश्यक पूर्ति पश्चात ई–अनुज्ञा प्राप्त कर सकेंगे एवं ई–अनुज्ञा स्वयं जारी करने में कठिनाई की स्थिति में मण्डी के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी चाहे तो राज्य शासन के विभाग द्वारा अधिकृत सर्विस प्रोवाईडर के माध्यम से अथवा मण्डी समिति से प्राप्त कर सकते हैं।

10/ ई–अनुज्ञा प्रणाली में गंतव्य मण्डी में क्षेत्रीय निरीक्षक द्वारा ई–अनुज्ञा का सत्यापन एवं दस्तावेज जमा करने की बाध्यता नहीं रहेगी। स्कंध का ऑनलाईन सत्यापन उपरांत स्वतः ही व्यापारी के कृषि उपज खाते में प्रदर्शित होने लगेगा।

11/ मण्डी सचिव एवं मण्डी के अधिकृत कर्मचारी के द्वारा मण्डी के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी द्वारा प्रतिदिन के कय संव्यवहार की जानकारी पोर्टल पर दर्ज होने पर प्रतिदिन न्यूनतम दो बार मण्डी कार्यालय आरम्भ होने पर एवं कार्यालय समाप्ती के पूर्व पोर्टल पर सत्यापन किया जाये।

12/ मण्डी के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी द्वारा स्कंध की खरीदी एवं ई–अनुज्ञा पोर्टल पर प्रविष्टि पश्चात अनुज्ञा प्राप्त करने की प्रतीक्षा आवश्यक नहीं होगी। क्योंकि केता व्यापारी के पास उपलब्ध स्कंध यदि पूर्व से सत्यापित है तो वह स्वयं ई–अनुज्ञा जारी कर सकेंगे।

13/ कृषकों का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी द्वारा अनुबंध/सौदा पत्रक के माध्यम से कय उपज के विकेता/कृषक को भुगतान के प्रमाणीकरण उपरांत ई–अनुज्ञा जारी किया जा सकेगा।

14/ मण्डी समितियों में परिवर्तित ई–(मण्डी) अनुज्ञा पत्र ऑनलाईन प्रणाली क्रियान्वयन के लिये इंटरनेट कनेक्शन की उपलब्धता अनिवार्य रुप से सुनिश्चित की जावे।

15/ समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक अपने अंचल कार्यालय में पूर्व से स्थापित किये गये नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रुम) को तत्काल प्रभाव से क्रियाशील करें एवं जिन अधिकारी/कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है उनकी जानकारी मय दूरभाष एवं मोबाईल नंबर के मण्डी बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें।

16/ परिवर्तित ई–(मण्डी) अनुज्ञा पत्र ऑनलाईन प्रणाली क्रियान्वयन में मण्डी अमले के सहायक उपनिरीक्षकों विशेषकर नवनियुक्त सहायक उपनिरीक्षकों (जिन्हें तकनीकी ज्ञान है) को प्रथम वरियता दी जाये एवं कार्य में लगाया जाये।

17/ परिवर्तित ई–मण्डी अनुज्ञा पत्र प्रणाली कार्य में लगे मण्डी कर्मियों के एण्ड्राईड मोबाईल के आई.एम.इ.आई. नम्बर की प्रविष्टि कर्मचारी पंजीयन के समय अनिवार्य रुप से परिवर्तित ई–(मण्डी) अनुज्ञा पत्र ऑनलाईन प्रणाली में दर्ज की जाना सुनिश्चित करें।

18/ समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक, आंचलिक कार्यालय योजना के नोडल अधिकारी हैं एवं समस्त सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, योजना के उप–नोडल अधिकारी होंगे।

परिवर्तित ई–मण्डी अनुज्ञा पत्र प्रणाली क्रियान्वयन की उपरोक्तानुसार तैयारियों के संबंध में अंचल की सभी मण्डी समितियों के सचिव को इसकी सूचना देकर एवं चर्चा कर तत्काल पूर्ण करायें एवं समीक्षा करें ताकि उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाहियॉ पूर्ण होने की पुष्टि पश्चात परिवर्तित ई–(मण्डी) अनुज्ञा पत्र ऑनलाईन प्रणाली को कुशलता पूर्वक लागू किया जा सकेगा।

31/7/19

(अशोक कुमार वर्मा)
प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बी–5/2/ई–अनुज्ञा (ऑ.ला.)/2019–20/1183 भोपाल दिनांक 31 जुलाई 2019

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(1) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।

(2) अपर संचालक (नियमन/एम.आई.एस./वित्त/कार्मिक), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।

(3) श्री ए0एन0सिद्धीकी, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, भारत सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, सी विंग, आधारतल, विंध्याचल भवन भोपाल।

(4) श्री मुशर्रफ सुल्तान, तकनीकी निदेशक, भारत सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, सी विंग, आधारतल, विंध्याचल भवन भोपाल।

(5) संयुक्त संचालक (नियमन)/उप संचालक (वित्त/आडिट), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।

(6) श्री संजीव अग्निहोत्री, प्रोग्रामर, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।

(7) श्री रामकिशुन असाटी, कन्सलटेंट, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।

31/7/19

प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल